बिहार सरकार

वित्त विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक–........................

संख्या–1/स्था०(ले०से०)–23/2023................................./वि०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को संयुक्त आयुक्त एवं समकक्ष स्तर में उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है–

क्र.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2024 के अनुसार)	वर्त्तमान कोटि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	श्रीमती रूपम	औरंगाबाद	27	उपायुक्त एवं समकक्ष स्तर

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक संयुक्त आयुक्त एवं समकक्ष स्तर (विहित वेतनमान वेतन स्तर–13) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपरोक्त पदाधिकारी के अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार हेतु आवश्यक अर्हत्ता नहीं होने का तथ्य भविष्य में परिलक्षित होने पर उक्त पदाधिकारी को उच्चतर पद पर दी गई अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार के आदेश को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से वापस लिया जा सकेगा।

5. पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त एवं समकक्ष स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था०(ले०से०)–23/2023....................../वि०, पटना, दिनांक–..........................

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था०(ले०से०)–23/2023....................../वि०, पटना, दिनांक–..........................

प्रतिलिपि–अवर सचिव, प्रभारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण संस्करण में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

कृ०पृ०उ०

44/2025 jb

ज्ञापांक–1 / स्था०(ले०से०)–23 / 2023.....1279...... **/ वि०, पटना, दिनांक**–...04.02.2025...

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

RMandal
04/02/2025
सरकार के अवर सचिव।

44 / 2025 jb